COVID-19
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आई.डी.एस.पी./2020/49 दिनांकः 25/3/20

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः–अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के स्क्रीनिंग करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में राजस्थान राज्य में COVID-19 रोग के बचाव, रोकथाम व नियंत्रण हेतु यह आवश्यक है कि घर–घर सर्वे, ओपीडी स्क्रीनिंग के अन्तर्गत या अन्य किसी माध्यम से विभाग को रिपोर्ट होने वाले अन्य राज्यों से आये यात्रियो/नागरिको को स्क्रीनिंग किया जाकर उनका केटेगरी अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकरण करते हुये आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

1. केटेगरी 'ए'–बुखार, खांसी व सांस लेने में तकलीफ के लक्षण प्रारंभ होने से 14 दिवस पूर्व यदि किसी भी यात्री ने अन्य राज्यों में यात्रा की हो तो उन्हें तुरंत प्रभाव से कोरोना हेतु चिन्हित किये गये आईसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. केटेगरी 'बी'–अन्य राज्यों से यात्रा करके आने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों, हाईपर टेंशन, डायबिटीज, अस्थमा जैसे बीमारियों से ग्रसित रोगियों में बुखार, खांसी व सांस लेने में तकलीफ के लक्षण ना होने पर भी तुरंत प्रभाव से अगले 14 दिवस तक कोरोना हेतु चिन्हित क्वेरेन्टाईन में भर्ती कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. केटेगरी 'सी'–अन्य राज्यों से यात्रा करके आने वाले व्यक्तियों में बुखार, खांसी व सांस लेने में तकलीफ के लक्षण ना होने पर अगले 14 दिवस हेतु होम क्वेरेन्टाईन में रखा जाना सुनिश्चित करें।

25/03/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आई.डी.एस.पी./2020/49 दिनांकः 25/3/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम), मुख्यालय।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.), मुख्यालय।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन राजस्थान।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. जिला प्रभारी (COVID-19) को भेजकर लेख है कि उक्त अध्यतन (Update) आज ही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. सर्वर रूम नं. 302 ई–मेल तथा वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।
10. कार्यालय पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

C:\Users\Acer1\Desktop\Hindi Letter 2015..doc

Scanned with CamScanner